न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 02/2019

प्रार्थी–

शिवजीराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी दरूड़ा तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सवाईराम पुत्र गोरखाराम जाति मेघवाल निवासी दरूड़ा तहसील व जिला बाड़मेर
2. सरपंच, ग्राम पंचायत मारूड़ी तहसील एवं जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 59 दिनांक 05.07.2017 जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत मारूड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सज्जनसिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27.10.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत मारूड़ी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे राजस्थान पचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम दरूड़ा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 59 दिनांक 05.07.2017 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 6512.75 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत मारूड़ी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत मारूड़ी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मारूड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित नियम 157(1) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जिस विवादित भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया हैं उस पर प्रार्थी का स्वामित्व एवं आधिपत्य है तथा अप्रार्थी सं. 1 का कोई मकान/रहवासीय कब्जा नहीं हैं। ग्राम पंचायत मारूड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों विपरित अपने क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर निर्धारित सीमा से अधिक भूखण्ड का पट्टा जारी किया हैं। नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा अप्रार्थी के नाम जारी नहीं किया जा सकता हैं तथा इस बिन्दु पर ग्राम पंचायत द्वारा भारी कानूनी एवं तथ्यात्मक अनियमितता की गई हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आलौच्य पट्टा की आड़ में प्रार्थी के स्वामित्व एव आधिपत्य के भूखण्ड में अनाधिकृत रूप से दखलदांजी की जा रही हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा में भूखण्ड के नाप व पडौस भी गलत अंकित किये गये है जो वास्तविक स्थिति के अनुसार नहीं है। विवादित भूखण्ड में प्रार्थी का रहवासीय परिसर व पक्का मकान बना हुआ हैं लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी सं. 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत से मिलकर प्रार्थी के भूखण्ड को हड़पने की गरज से आलौच्य पट्टा जारी करवा दिया हैं। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में कोई विधिवत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई हैं और न ही मौतबिरान के रूबरू मौका निरीक्षण किया गया हैं, मात्र कार्यालय में बैठकर ही छपे हुए प्रफॉर्मा में कागजी कार्यवाही कर आलौच्य पट्टा विधि विरूद्ध जारी कर दिया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में संस्थित की गई पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि समस्त कार्यवाही एक ही दिन में पूर्ण की गई हैं तथा नियमानुसार आवेदन–पत्र, मौका निरीक्षण, सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रण, पंचायत बैठक में निर्णय इत्यादि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई महत्वपूर्ण सर्वे रिपोर्ट मंगाई हैं एवं न कोई कब्जे एवं आधिपत्य की रिपोर्ट मंगवाई हैं। अप्रार्थी के आवेदन पत्र के गवाहों के छपे–छपाये बयानों मे खाना पूर्ति करके पत्रावली में संलग्न कर दिय गये हैं तथा आनन–फानन में पट्टा जारी कर दिया हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं अनियमित प्रक्रिया द्वारा की जाकर आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मारूड़ी द्वारा जारी पट्टा सं. 59 दिनांक 05.07.2017 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

4. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सज्जनसिंह भाटी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया किन्तु दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है, जो पुराने कब्जों के नियमितीकरण के लिये जारी किया जाता है। विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी ने अपना कब्जा होना अभिकथित किया है तथा अप्रार्थी सं. 1 का कोई मकान या रहवासीय आधिपत्य नहीं हैं और न ही अप्रार्थी सं. 1 ने ग्राम

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किये है। इसके अलावा अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी प्रकट किया हैं कि नियम 157(1) की सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन से पाया जाता हैं कि आवेदित भूखण्ड का विक्रय के द्वारा नियमितीकरण किया गया हैं तथा राशि रूपये 95,669/– वसूल किये गये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने के बाद प्रार्थी को जानकारी होने से ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 03.05.2018 को उजरदारी प्रस्तुत की गई, जिसमें विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होने एवं पट्टा गलत जारी होने से निरस्त करने का निवेदन किया गया। इस ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी की उजरदारी का निस्तारण किये बिना ही बैठक दिनांक 15.05.2018 को प्रस्ताव सं. 2 पारित कर आलौच्य पट्टा की पुश्त पर भूखण्ड के आरेख में पड़ौस संशोधन कर दक्षिण दिशा में प्रार्थी का पडौस अंकित कर दिया। ग्राम पंचायत की ओर से मुकर्रर मौका निरीक्षण की कमेटी द्वारा जो मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं उसमें विधिवत रूप से आवश्यक तथ्यों की जांच एवं उसकी रिपोर्ट अंकित नहीं की गई हैं। मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पुराने कब्जे की दशा यथा मकान, बाड़ा एवं पुराना होने के संबंध में साक्ष्य, गवाह मौतबिरान एवं पडौसियान से पूछताछ का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की ओर से की गई समस्त कार्यवाही प्रार्थी की उजरदारी के परिप्रेक्ष्य में अनियमित एवं अवैधानिक प्रतीत होती हैं तथा अप्रार्थी का इस भूखण्ड पर कोई पुराना कब्जा होने का कोई प्रमाण दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया गया हैं जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में इस पुराने कब्जे के बिन्दु की जांच में पूर्णतया अनियमितता

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अपूर्णता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 2 ग्राम पंचायत मारूड़ी द्वारा बैठक दिनांक 05.07.2017 के संकल्प सं. 01 के तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 59 दिनांक 05.07.2017 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत दरूडा (नवसृजित) को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि दोनो पक्षों को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित भूखण्ड पर कब्जे व स्वामित्व की पूर्ण जांच कर प्रार्थी की उजरदारी पर सुनवाई कर राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में यथाविहित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण करें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:41:21 IST
Reason: SelfAttested